

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1452

बुधवार, 27 नवंबर, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

मेक इन इंडिया की विशेषताएं

1452. श्री एस. रामलिंगम:

श्री ए. राजा:

डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) मेक इन इंडिया कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;
- (ख) तमिलनाडु सहित देशभर में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल जिलों/शहरों/क्षेत्रों की संख्या का ब्यौरा क्या है;
- (ग) तमिलनाडु सहित देश में अब तक इस कार्यक्रम में शामिल क्षेत्रों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;
- (घ) उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक निर्धारित लक्ष्यों और इसके फलस्वरूप प्राप्त सफलता का ब्यौरा क्या है;
- (ङ) क्या सरकार ने तमिलनाडु सहित दो में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सुविधा केन्द्रों का सृजन किया है;
- (च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है तथा इस पर कैसी प्रतिक्रिया हुई है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (छ) क्या सरकार को तमिलनाडु सरकार से इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों को, विशेषकर विनिर्माण क्षेत्र में, शामिल करने और प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और
- (ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा अब तक देश में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उक्त को कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/की जानी है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

- (क) से (घ):** 'मेक इन इंडिया' पहल 25 सितंबर 2014 को निवेश को आसान बनाने, नवप्रयोग को बढ़ावा देने, विनिर्माण अवसंरचना को सर्वश्रेष्ठ बनाने, व्यवसाय को आसान बनाने और कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।

(i) नीतिगत पहलें (ii) राजकोषीय प्रोत्साहन (iii) अवसंरचना सृजन (iv) ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (v) नवप्रयोग और आर एंड डी (vi) कौशल विकास क्षेत्र के अंतर्गत विशिष्ट कार्रवाई के लिए 21 प्रमुख क्षेत्रों में कार्रवाई योजना की पहचान की गई थी। 'मेक इन इंडिया' पहल किसी विशिष्ट राज्य/जिला/शहर/क्षेत्र की पहल नहीं है, बल्कि इसे पूरे देश में कार्यान्वित किया जा रहा है। मेक इन इंडिया पहल की समीक्षा की गई है और अब 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग 15 विनिर्माण क्षेत्रों के लिए कार्य योजनाओं का समन्वय कर रहा है जबकि वाणिज्य विभाग 12 सेवा संबंधी क्षेत्रों का समन्वय कर रहा है। 27 क्षेत्रों की सूची **अनुबंध-I** में दी गई है।

(ड) और (च): राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्य में आने वाले निवेशकों के लिए प्रथम संदर्भ बिंदु हेतु निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसियां बनाई हैं। राज्य निवेश संवर्धन एजेंसियों की यह सूची **अनुबंध-II** में दी गई है।

(छ) और (ज): 'मेक इन इंडिया' पहल किसी विशिष्ट राज्य/जिला/शहर/ क्षेत्र की पहल नहीं है बल्कि इसे पूरे देश में कार्यान्वित किया जा रहा है। इसलिए, किसी विशिष्ट क्षेत्र अथवा सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए किसी राज्य से प्रस्ताव की कोई आवश्यकता नहीं है।

दिनांक 27.11.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1452 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

‘मेक इन इंडिया’ पहल के अंतर्गत 27 क्षेत्रों की सूची

- (i) एयरोस्पेस और रक्षा
- (ii) ऑटोमोटिव और ऑटो कंपोनेंट्स
- (iii) फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल डिवाइस
- (iv) जैव प्रौद्योगिकी
- (v) कैपिटल गुड्स
- (vi) कपड़ा और परिधान
- (vii) रसायन और पेट्रो रसायन
- (viii) इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैनुफैक्चरिंग (ईएसडीएम)
- (ix) चमड़ा और फुटवेयर
- (x) खाद्य प्रसंस्करण
- (xi) रत्न और आभूषण
- (xii) जहाजरानी
- (Xiii) रेल
- (Xiv) निर्माण
- (xv) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा
- (xvi) सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं (आईटी और आईटीईएस)
- (xvii) पर्यटन और लॉजिस्टिक्स सेवाएँ
- (xviii) चिकित्सा मूल्य यात्रा (मेडिकल वेल्थू ट्रेवल)
- (xix) परिवहन और लॉजिस्टिक्स सेवाएँ
- (xx) लेखा और वित्त सेवाएँ
- (xxi) ऑडियो विजुअल सर्विसेज
- (xxii) कानूनी सेवाएं
- (xxiii) संचार सेवाएँ
- (xxiv) निर्माण और संबंधित इंजीनियरिंग सेवाएं
- (xxv) पर्यावरण सेवाएँ
- (xxvi) वित्तीय सेवाएँ
- (xxvii) शिक्षा सेवाएँ

दिनांक 27.11.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1452 के भाग (ड) और (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्र.सं.	राज्य का नाम	आईपीए का नाम
1	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश आर्थिक विकास बोर्ड (एपीईडीबी)
2	अरुणाचल प्रदेश	उद्योग विभाग
3	असम	इन्वेस्ट असम फाउंडेशन
4	बिहार	इन्वेस्ट बिहार
5	छत्तीसगढ़	राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड
6	गोवा	गोवा निवेश संवर्धन और सुविधा बोर्ड
7	गुजरात	औद्योगिक विस्तार ब्यूरो (आईएनडीईएक्सटीबी)
8	हरियाणा	हरियाणा उद्यम संवर्धन केंद्र
9	हिमाचल प्रदेश	उद्योग विभाग
10	झारखंड	झारखंड औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (जेआईआईडीसीओ)
11	कर्नाटक	कर्नाटक उद्योग मित्र
12	केरल	केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम (केएसआईडीसी)
13	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम (एमपीआईडीसी)
14	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार और निवेश सुविधा सेल (एमएआईटीआरआई)
15	मणिपुर	वाणिज्य और उद्योग विभाग
16	मेघालय	मेघालय निवेश संवर्धन बोर्ड
17	मिजोरम	उद्योग विभाग
18	नागालैंड	नागालैंड निवेश और विकास प्राधिकरण (आईडीएएन)
19	ओडिशा	ओडिशा औद्योगिक संवर्धन और निवेश निगम (आईपीआईडीसीओएल)
20	पंजाब	पंजाब निवेश संवर्धन ब्यूरो (इन्वेस्ट पंजाब)
21	राजस्थान	राजस्थान निवेश संवर्धन ब्यूरो
22	सिक्किम	वाणिज्य और उद्योग विभाग
23	तमिलनाडु	औद्योगिक मार्गदर्शन और निर्यात संवर्धन ब्यूरो
24	तेलंगाना	इन्वेस्ट तेलंगाना सेल
25	त्रिपुरा	त्रिपुरा निवेश संवर्धन बोर्ड
26	उत्तर प्रदेश	उद्योग बंधु
27	उत्तराखंड	निवेश संवर्धन और सुविधा सेल
28	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड